

फोन : कार्यालय - (0551) 2340363

आवास - (0551) 2201507

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

पत्रांक : 2471 /सम्बद्धता/2010

दिनांक : 12 /03/2010

सेवा में,

प्रबन्धक,

राजादेवी महिला महाविद्यालय,
सल्लहपुर भटनी,
देवरिया।

विषय : स्नातक स्तर पर प्राचार्य/प्रवक्ता चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 10.03.2010 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर प्राचार्य/प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है-

क्र.सं.	नाम प्रवक्ता	विषय
1.	डॉ० इन्द्रदेव राय	प्राचार्य
2.	डॉ० नगमा सुल्तान	प्रवक्ता-संस्कृत
3.	डॉ० संजय कुमार सिंह	प्रवक्ता-इतिहास
4.	डॉ० माण्डवी द्विवेदी	प्रवक्ता- हिन्दी
5.	श्री अजय कुमार राय	प्रवक्ता-राजनीतिशास्त्र
6.	श्री राजेश कुमार राव	प्रवक्ता-समाजशास्त्र
7.	श्री रीतेश कुमार श्रीवास्तव	प्रवक्ता-शिक्षाशास्त्र
8.	डॉ० जाहिदा खातून	प्रवक्ता-गृहविज्ञान

1. महाविद्यालय में प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

कुलसचिव
12/3/10

संलग्नक :

1. शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 की छाया प्रति।